Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में रोजगार हेतु शहरी प्रवसन (छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील के विशेष संदर्भ में)

डॉ. शैलप्रभा कोष्टा*

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत अध्ययन म.प्र. के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील क्षेत्र में निवासरत् विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के न्यादर्श परिवारो में रोजगार हेतु तहसील से बाहर शहरों की ओर पलायन के विभिन्न कारणों पर आधारित है।

जिले एवं तहसील का परिचय – म.प्र. का छिंदवाड़ा जिला जिसका गठन 1 नवम्बर 1956 को हुआ था। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है यह 21.28 से 22.49 डिग्री उत्तर (देशांतर) और 78.40 से 79.24 डिग्री पूर्व (अक्षांश) तक फैला हुआ है और 11.815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र - जुन्नारदेव नगर सतपुड़ा पर्वतमाला की पहाड़ियों और वादियो के घने जंगलो के निकट बसा है शहर के निकट कुछ छोटी नदियां, पेंच, कन्हान प्रमुख है।

साल 2020-21 मे छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव तहसील की आबादी 561.76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इस तहसील में पुरुषों की आबादी 59,011 और महिलाओं की आबादी 57,829 थी। अनुसूचित जनजाति की आबादी 39.22 प्रतिशत है।

यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कोयला वॉश प्लांट है। साथ ही डब्ल्यू. सी. एल. के कन्हान क्षेत्र का प्रधान कार्यालय इसी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिन्दी, गोंडी और मराठी है। जिले का स्त्री पुरुष अनुपात काफी अच्छा है। सामान्यत: अध्ययन न्यादर्श परिवारों में पारिवारिक दायित्वो के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की परम्परा रही है पति पत्नी दोनो संयुक्त रूप से परिवार के भरण-पोषण के लिए कार्य करते है फलत: क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषो से मात्र कुछ कदम ही पीछे है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्यों पर आधारित है।

(अ) अध्ययन क्षेत्र में रोजगार हेतु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना।

(ब) शहरी प्रवसन के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।

(स) प्रवसन को रोकने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना :

(अ) रोजगार के साधन जिले में पर्याप्त हैं।

(ब) रोजगार साधनों में विविधता की कमी प्रवसन हेतु उत्तरदायी है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है प्राथमिक समंको के संकलन हेतु दैव निदर्शन पद्धति द्वारा न्यादर्श परिवारों का चयन किया गया है अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र के 200 परिवारो के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों का चयन किया गया है। जिनमें अनुसूचित जाति के 25 परिवार एवं जनजाति के 175 परिवारों को शामिल कर प्रवसन का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में विकास योजनाएँ – इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए म.प्र. शासन एवं केन्द्र के सहयोग से विभिन्न योजनाएँ संचालित है जिसमें से कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार है-

1. आहार अनुदान योजना
2. आकांक्षा योजना
3. प्रतिभा योजना
4. आवास सहायता योजना
5. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
6. प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
7. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना

व्यवसाय एवं न्यादर्श परिवार – जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से नितांत भिन्न होती है इनकी निजी आवश्यकताएँ बहुत सीमित होती है इन सीमित आवश्यकताओं के लिए प्रधानत: प्रकृति पर निर्भर रहते है। वन न केवल इनके वांछित प्रिय निवास क्षेत्र हैं बल्कि आजीविका के स्त्रोत भी रहे हैं, अब इस स्थिति में अमूल्य परिवर्तन हो गया है। हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में न केवल आदिवासियों के असीमित अधिकार को समाप्त कर दिया बल्कि वन संसाधन का व्यापारिक स्तर पर दोहन प्रारंभ किया गया। आदिवासियों द्वारा वनों का परम्परागत उपयोग उस बहुमूल्य सम्पत्ति के अपव्यय के रूप में देखा जाने लगा है। सिमटते हुए वनों और उन पर निरन्तर बढते प्रतिबन्धों एवं दबावो के कारण आदिवासी समुदाय कृषि, मजदूरी और पशुपालन जैसे व्यवसाय की ओर मुड़े।

जनजातीय समुदाय इतने निर्धन हैं कि इनके पास स्वयं की कृषि भूमि तक नहीं है जिनके पास कृषि भूमि है भी तो वह बहुत कम उपजाऊ है जिसमें मोटा अनाज का ही उत्पादन हो पाता है विकल्प के रूप में केवल मजदूरी ही जनजातियों का आर्थिक स्त्रोत है वनों से प्राप्त लघु वनोपज एवं जड़ी-बूटी का संग्रह बहुत थोड़ा सा आर्थिक स्त्रोत है जो जीवन यापन के लिये पर्याप्त नहीं है।

अनुसूचित जाति परिवार के ज्यादातर सदस्य गांव के मालगुजार, बड़े किसानो के घर पर खेती से संबंधित कार्य करते हुए अपना जीवन यापन

करने का प्रयास करते है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मजदूरी न मिल सकने के कारण यह अनुसूचित जाति परिवार शहरो की ओर पलायन कर रहे है। अध्ययन क्षेत्र के 200 परिवारों से उनके रोजगार के बारे में जानकारी ली गई तो प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है :

तालिका क्रं. 1: न्यादर्श परिवार एवं व्यवसाय (रोजगार)

क्रं.	व्यवसाय का प्रकार	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	योग
1	कृषि	58 (33.15)	05 (20.00)	63 (31.5)
2	मजदूरी	105 (60.00)	14 (56.00)	119 (59.5)
3	स्वयं का व्यवसाय	09 (5.14)	05 (20.00)	14 (7.00)
4	शासकीय नौकरी	01 (0.57)	---	01 (0.5)
5	अशासकीय नौकरी	02 (1.14)	01 (4.00)	03 (1.5)
	योग	175 (100)	25 (100)	200 (100)

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंका कोष्ठक के समंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका क्रं. 1 से स्पष्ट है, कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के न्यादर्श परिवार सर्वाधिक मजदूरी कर रहे हैं कृषि कार्य करने वाले परिवारों की संख्या 58 अर्थात 33.15 प्रतिशत है। 59.50 प्रतिशत परिवार सबसे अधिक मजदूरी करते हैं जिससे मिलने वाली आय इतनी कम होती है कि परिवार हेतु रोटी कपड़ा जैसी बुनियादी सुविधाए जुटा पाना मुश्किल होता है।

इन न्यादर्श परिवारों में शिक्षा की कमी होने से ये सरकारी आरक्षण संबंधी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और निम्न जीवन स्तर पर हमेशा बने रहते हैं। जुन्नारदेव तहसील के ग्रामीण अंचलों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कृषक एवं भूमिहीन लोगों के लिए घर पर ही कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिले में सुविधाओं का आंकलन एवं पूर्ति की व्यवस्था हेतु उद्योग, परिवहन सुविधाऐं, संचार एवं शिक्षा जैसी आधारभूत (मूलभूत) सुविधाएँ प्रदान की गई हैं इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत लघु वनोत्पादों का संकलन एवं शासकीय विभिन्न रोजगार उपयोजना एवं योजनाओं के माध्यम से जिले के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति परिवारों की आय-वृद्धि कर जीवन स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि न्यादर्श परिवार मुख्यरूप से जल एवं वन संसाधनों के संरक्षण द्वारा रोजगार प्राप्त कर आय प्राप्त कर रहे है।

तालिका क्रं. 2

क्रं	समुदायगत विवरण	जल संरक्षण पर आधारित कार्य में रोजगार प्राप्त परिवार				
		मत्स्यपालन	सिंचाई	वानिकी	अन्य	योग
1	अनुसूचित जनजाति	40 (22.85)	45 (25.73)	70 (40.0)	20 (11.42)	175 (100)
2	अनुसूचित जाति	06 (14.00)	12 (48.00)	05 (20.0)	02 (08.0)	25 (100)
	योग	46 (23.00)	57 (28.50)	75 (37.5)	22 (11.0)	200 (100)

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंका कोष्ठक के समंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका क्रं. 2 से स्पष्ट है, कि वानिकी कार्यो में सर्वाधिक 37.50 प्रतिशत न्यादर्श परिवारों को रोजगार मिला हुआ है, क्योकि जुन्नारदेव तहसील आदिवासी बहुल होने के साथ ही जिले का वन क्षेत्र भी बहुत अधिक है, परिणाम स्वरूप जिले में वानिकी कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जा रहा है फिर भी इस क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं है।

तालिका क्रं. 3

क्रं	समुदायगत विवरण	वन संरक्षण आधारित कार्यक्रमों/उद्योगों में रोजगार				
		लघुवन उपज संकलन	वनसंपदा पर आधारित उद्योग	औषधी पौधारोपण	अन्य	योग
1	अनुसूचित जनजाति	84 (48.0)	44 (25.15)	40 (22.85)	7 (4.0)	175 (100)
2	अनुसूचित जाति	12 (48.0)	6 (24.0)	04 (16.0)	03 (12.0)	25 (100)
	योग	96 (48.0)	50 (25.0)	44 (22.0)	10 (5.0)	200 (100)

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंका कोष्ठक के समंक प्रतिशत में हैं।

उपरोक्त तालिका क्रं. 3 से स्पष्ट है, कि 200 न्यादर्श परिवारों में से 48 प्रतिशत परिवारों को लघु वन उपज संकलन में 25 प्रतिशत परिवारों को वन संपदा पर आधारित उद्योग जैसे दियासलाई, कागज, टोकनी एवं झाड़ू बनाने वाले लघु उद्योगों एवं 22 प्रतिशत परिवार औषधी पौधों के रोपण के काम में लगे हुए है, ये काम ज्यादातर अनुसूचित जनजाति परिवारों से इस कारण कराया जाता है, क्योकि इन परिवारों को इन औषधी पौधों की बहुत अच्छी पहचान होती है।

रोजगार हेतु प्रवसन :- ग्रामीण परिवारों को ज्यादातर प्रवसन की समस्या का सामना करना पड़ता है विशेष रूप से इन जनजातीय क्षेत्र के न्यादर्श परिवारों के पास उतनी भूमि नहीं है जिससे उनको साल भर कृषि कार्य हेतु रोजगार मिल सके इनके पास इस प्रकार की भूमि है जो अधिक पैदावार नहीं देती है। सिंचाई एवं अधिक उपज देने वाली भूमि के अभाव में जनजातीय समाज के सदस्यों को काम की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के न्यादर्श परिवारों के व्यवसाय से संबंधित विवरण से स्पष्ट है कि ये परिवार कृषि कार्य से बचे समय में जंगल में काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं परन्तु जंगली वनोत्पाद में कमी तथा वन नीति के कारण इन न्यादर्श परिवारों को समय एवं आवश्यकता अनुसार काम करने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है इन न्यादर्श परिवारों में प्रवसन के निम्न कारण इस प्रकार हैं :

तालिका क्रं. 4: न्यादर्श परिवारों में प्रवसन के कारण

क्रं	प्रवसन के कारण	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	प्रतिशत
		न्यादर्श परिवार (संख्या में)	प्रतिशत	न्यादर्श परिवार (संख्या में)	
1	मौसमी	18	10.28	2	8.00
2	माहवारी	9	5.15	1	4.00
3	पाक्षिक	15	8.57	3	12.00
4	आवश्यकतानुसार	79	45.15	13	25.00
5	सूखे के समय	40	22.85	6	24.00
6	वार्षिक	6	3.43	-	-
7	अन्य	8	4.57	-	-
	योग	175	100.00	25	100.0

स्त्रोत :- प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित समंका

उपरोक्त तालिका क्रं. 4 से स्पष्ट है, कि अध्ययन क्षेत्र के 45.15 प्रतिशत परिवार सबसे अधिक आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु गांव से बाहर जाते हैं 22.85 प्रतिशत परिवारों द्वारा जिले में ही सूखे के समय प्रवसन किया जाता है वहीं मौसमी कारणों से 10.28 प्रतिशत, पाक्षिक रूप से 8.57 प्रतिशत परिवारों द्वारा ग्राम से बाहर अन्य स्थानों पर रोजगार कार्य किया जाता है।

सुझाव – उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में विकास की संभावनायें और शासन द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त धन राशि भी आवंटित की जाती रही है परन्तु इन न्यादर्श परिवारों में जागरूकता की कमी के कारण विकास कार्यक्रमों का पता ही नहीं चल पाता है फलत: इन योजनाओं से होने वाले लाभों से ये परिवार वंचित रहते हैं अत: उचित लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :

1. शिक्षा के समुचित विकास द्वारा इन परिवारों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
2. जनजातीय एवं अनुसूचित समाज के समग्र विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च, तकनीकी, व्यवसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये ताकि स्वयं के व्यवसाय द्वारा आय अर्जित की जा सके।
3. कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाना चाहिए।
4. लघु वनउपज संग्रह में स्थानीय आदिवासी परिवारों के सहयोग द्वारा निर्धन बेराजगार आदिवासियों को अल्पकालिक ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।
5. क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को ध्यान में रखकर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते है।
6. रोजगार संसाधनों में विविधता द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए।
7. सूखे के समय या अन्य कारणों से होने वाले शहरी प्रवसन को रोकने हेतु तत्कालिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रमों का अध्ययन क्षेत्र में विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. चतुर्वेदी, सी. एल.: 'मानव संसाधन प्रबंध', महावीर बुक डिपो 2006 पृष्ठ 248
2. गंगेले, अरूण कुमार: 'व्यष्टि अर्थशास्त्र', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1995 पृष्ठ 168,16
3. सिकलागर डॉ. पूनमचन्द्र:'वन एवं आदिवासी सामाजिक जीवन', शिवा पब्लिशर्स, 1994 पृष्ठ 113
4. तिवारी, राकेश कुमार:'आदिवासी समाज में आर्थिक परिवर्तन', नार्दन बुक डिपो 1990 पृष्ठ 27
5. नेट http://www.junnerdeo.nic.in/origio/htm
6. जोशी, हेमलता:'जनजातियों का भौगोलिक अध्ययन', यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि. जयपुर 2000
7. गुप्ता, एस.:'रिसर्च मैथालाजी एण्ड स्टेटीकल तकनीक', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली 2009
8. दैनिक समाचार पत्र – दैनिक भास्कर 5 अक्टूबर 2022 पृष्ठ 6

****